

मूल वाद में डिकी

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 104 / 2018

1. पुसाराम पिता सोंवरा, निवासी - भोजरास तहसील हुस्डा।

-वादीनम

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुस्डा।

-प्रतिवादीनम

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से पुसाराम प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 07.05.2018 को अदालत के सम्मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि दावा वादी डिकी किया जाकर मौजा लक्ष्मणपुरा पटवार हल्का आपलियास तहसील हुस्डा कि आराजी न० 10, 299, 343, 352, 384 किता 5 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि में पुसाराम 1/3, सुमेरचन्द्र 1/3, पिता सोंवरा, भेंवरी बेवा सोंवरा 1/3 जाट सेब बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जायें।

और इसके वाद के खर्च लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

आज तारीख 07.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



वाद के खर्च

उपस्थित अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. लीडर की फीस	00	00
4. रुपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	00	00		00	00